यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपसचिव सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग (लेखा अनुभाग 4652) सचिवालय प्रशासन उत्तराखंड शासन देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

उपसचिव सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग (लेखा अनुभाग 4652) सचिवालय प्रशासन उत्तराखंड शासन देहरादून के 02/2018 से 07/2020 तक के अभिलेखों की लेखा-परीक्षा श्री के० एस० चौहान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चंद पर्यवेक्षक एवं श्री कुलदीप सिंह पँवार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17-08-2020 से 21-08-2020 तक श्री पी० के० गुप्ता वरिष्ठ लेखा-परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

1. **भाग-I परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री रविन्द्र कुमार जयंत लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 05.02.2018 से 07.02.2018 तक श्री आर० एस० नेगी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी, जिसमें 02/2013 से 01/2018 तक के लेखाओं की जाँच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः देहरादून

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्था.	गैर स्था.	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधि.	बचत	आधि.	बचत/समर्पित
2017-18	-	-	11.33	11.33	-	-	-	-	-	-
2018-19	-	-	10.36	10.36	-	-	-	-	-	-
2019-20	-	-	-	-	-	-		-	-	-

(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति: **लागू नहीं**

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण: **शून्य**

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

संयुक्त सचिव
उप-सचिव
अनुसचिव
अनुभाग अधिकारी
समीक्षा अधिकारी
सहायक समीक्षा अधिकारी

(ii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में उपसचिव सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग (लेखा अनुभाग 4652) सचिवालय प्रशासन उत्तराखंड शासन देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन संयुक्त उपसचिव सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग (लेखा अनुभाग 4652) उत्तराखंड शासन देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। जनवरी 2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा सभी मुख्य कार्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13,** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'अ'

शून्य

भाग दो(ब)

प्रस्तर 1- समाधान योजना के तहत प्राप्त शिकायतों/समस्याओं एवं परिवादों का निस्तारण लंबित रहना।

राज्य सरकार द्वारा शिकायतों/समस्याओं/परिवादों के त्वरित निस्तारण हेतु "समाधान" योजना लागू की गयी थी, जिसमें शिकायतें ऑनलाईन दर्ज करने एवं निर्धारित अवधि में उनका निस्तारण कर सूचना ऑनलाईन प्रदान करने की व्यवस्था थी। इस योजना के तहत यह व्यवस्था भी थी कि राज्य में कितनी एवं क्या-क्या शिकायतें दर्ज हुई, कितनी शिकायतों का निस्तारण हुआ एवं कितनी शिकायते लंबित हैं। उक्त सब विवरण वैबसाइट पर उपलब्ध किया जाना था। उक्त से संबन्धित नियमावली के नियम 5.1 के अनुसार जिला स्तर से 30 दिन में तथा मण्डल स्तर से 15 दिनों में शिकायतों का निस्तारण किया जाना था। नियमावली के नियम 5.3 के अनुसार सचिव स्तर से शिकायतों का निस्तारण 45 दिनों के अंदर किया जाना अनिवार्य था।

उपर्युक्त से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न विभागों में अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 तक प्राप्त 472 शिकायतों का निस्तारण लम्बित है। आगे जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य शासनादेश संख्या 95 दिनांक 02.08.2019 को सूचना प्रौदयोगिकी विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है।

उपर्युक्त के संबन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि लंबित शिकायतों के शीघ्र निस्तारण की कार्यावाही की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि शिकायतों का निस्तारण जिला स्तर से 30 दिनों में एवं मण्डल स्तर से 15 दिनों में तथा सचिव स्तर से 45 दिनों में किया जाना अनिवार्य था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	**भाग दो"अ"प्रस्तर संख्या**	**भाग -दो"ब" प्रस्तर संख्या**	**पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0**
76/2017-18	**-**	**1**	**-**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
76/2017-18	भाग 2'ब' प्रस्तर सं 1:- मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का लगभग विगत चार वर्षो से निस्तारण हेतु लम्बित रखने का प्रकरण।	अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई ।	अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई, अतः प्रस्तर यथावत रखा जाता है ।	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(शून्य)

<u>भाग - V</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएँ उपलब्ध कराने हेतु उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**
सतत् अनियमितताएँ नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में शामिल की गई हैं।

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री मनमोहन मैनाली	उपसचिव

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं एवं जिसका समाधान लेखा परीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हे नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी मे सम्मिलित कर एक प्रति उपसचिव सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग (लेखा अनुभाग 4652) सचिवालय प्रशासन उत्तराखंड शासन देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उप-महालेखाकार/एएमजी-III कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III